

# समाहरणालय, जमुई।

(उत्पाद शाखा)

## आम नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अधिग्रहण वाद में माननीय न्यायालय समाहर्ता, जमुई के द्वारा अधिग्रहित वाहनों का सार्वजनिक नीलामी समाहरणालय सभा कक्ष, जमुई में दिनांक 24.03.18 को प्रातः 11:00 AM बजे से सम्पन्न किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया अपर समाहर्ता, जमुई के अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगी। वाहनों की विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अधिहरण वाद संख्या/वर्ष	थाना का नाम	थाना कांड संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)
1	33/2017	मलयपुर	17/17	राजदूत मोटर साईकिल बिना रजि० नं० का	इंजन नं०-UUBPJ91046 चैसिस -MD2DDZZZPPJ65939	2500	10%
2	33/2016	सिकन्दरा	193/16	राजदूत मोटर साईकिल	इंजन नं०-1963490	3000	300
3	28/2017	झाझा	59/17	मोटर साईकिल Honda Dream Yuga	BR-09P-7562	5000	500
4	01/2017	सोनो	95/16	एम्बेस्डर कार	मिटा हुआ नम्बर	18000	1800
5	43/2016	सोनो	89/16	1. मारुति 800 2. मारुति 800	BR-09B-0510 BR-09D-7306	30000 30000	3000 3000
6	29/2016	चकाई	191/16	ऑटो A/R	BR 21P 0718	35000	3500
7	43/2017	सोनो	47/17	मारुति भान	BR-01T-0970	40000	4000
8	81/2017	सोनो	48/17	होण्डा सिटी जेड प्लस	WB-02V-2391	80000	8000
9	12/2016	सोनो	123/16	बोलेरो	JH 09D 5001	85000	8500
10	34/2017	खैरा	84/17	सन्द्रो कार	J.H.09.A.D. 2987	85000	8500
11	62/2017	चकाई	63/17	मारुती सुजुकी स्टीम	HR-26AE-0955	95000	9500
12	08/2017	खैरा	14/17	बोलेरो पिकअप	WB 89 1717	105000	10500
13	31/2016	चकाई	162/16	शेवरले, ऑप्ट्रा	MH-16R-2614	125000	12500
14	31/2017	जमुई	93/17	पीकअप भान	BR-46C-3440	150000	15000
15	61/2017	चकाई	68/17	टवेश	BR-1PA-5676	150000	15000
16	55/2017	सोनो	80/17	1. हुण्डई एसेन्ट कार 2. फोर्ड फिस्ता क्लासिक	WB-02S-3341 WB-40V-3353	160000 150000	16000 15000
17	41/2017	सिकन्दरा	61/17	1. एसेन्ट कार 2. सन्द्रो ड्रीम कार	DL 2CW 2455 BR 02K 7156	175000 175000	17500 17500
18	40/2016	सोनो	182/16	होण्डा सिटी जेड एक्स	WB-02AJ-5167	175000	17500
19	23/2016	सोनो	163/16	ट्रक	BR1G-7729	180000	18000
20	30/2016	सोनो	173/16	TOYOTA COROLLA	WB 20G 9899	200000	20000
21	17/2016	चकाई	84/16	बोलेरो	BR-09R-3123	200000	20000
22	25/2017	खैरा	104/17	जेन एल.एक्स कार	KA 16M 6633	210000	21000
23	20/2016	सोनो	152/16	टाटा सफारी	WB 38U 2077	210000	21000
24	26/2017	चकाई	19/17	टाटा विंगर	JH 15D 9661	250000	25000

### नीलामी की शर्तें :-

- उपर्युक्त वाहनों के विरुद्ध अगर सक्षम न्यायालय में मामला दायर किया गया है या विचाराधीन है तो वैसे मामलों में साक्षय के साथ इसकी सूचना वाहन मालिक को नीलामी समिति के समक्ष या उत्पाद कार्यालय, जमुई में नीलामी के निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- डाक में भाग लेने वाले ड्राककर्ता नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक अग्रधन की राशि अधीक्षक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में नगद/बैंक ड्रफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
- नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
- इस नीलामी में आने वाले उच्चतम मूल्य का भुगतान कर वाहन प्राप्त करने का एक मौका वाहन के वैधिक मालिक को दिया जायेगा, यदि वे उस मूल्य को अदा कर वाहन नहीं प्राप्त करते हैं, तो यह वाहन उच्चतम बोलीकर्ता को नीलामी की राशि भुगतान के बाद दी जायेगी। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के दो कार्यदिवसों के भीतर अधीक्षक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर, नीलामी द्वितीय नम्बर पर आने वाले वक्ता को दी जायेगी।
- नीलामी समिति द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधित कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन के सभी प्रकार के भार (Free of a encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जायेगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
- नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित स्थलों पर जाकर वाहनों को देख सकते हैं।
- किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति अद्योहस्ताक्षरी एवं नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
- विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, जमुई कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।
- ड्राककर्ता को PAN एवं ADHAAR धारक होना अनिवार्य है।

समाहर्ता,  
जमुई।